

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका संख्या-11/आ०4-1036/2025- 1430 पटना, दिनांक- 14/7/26

CGRC Portal पर लंबित शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर दिनांक-02.12.2025 को की गयी थी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया था कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा के बहेड़ी प्रशाखा अन्तर्गत कुल 418 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 328 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया था एवं शेष 90 अदद शिकायतें उक्त तिथि तक लंबित थी। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 191 अदद शिकायतों को Reopen किया गया था, जो दिनांक-02.12.2025 तक लंबित थी। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 128 अदद थी। इसके अतिरिक्त 113 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया था।

02. वर्णित परिप्रेक्ष्य में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन नहीं करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-2374, दिनांक-03.12.2025 द्वारा मो० मामूर, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा, प्रशाखा-बहेड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

03. निलंबन के पश्चात मो० मामूर के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-404, दिनांक-16.02.2026 द्वारा उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में मो० मामूर के पत्रांक-शून्य, दिनांक-23.03.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण एवं पत्रांक-शून्य, दिनांक-22.06.2026 द्वारा निलंबन से मुक्ति संबंधी याचना अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें मो० मामूर द्वारा निलंबन के कारण समाजिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयों का सामना करने का तथ्य प्रतिवेदित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

04. मो० मामूर से प्राप्त निलंबन मुक्ति से संबंधित याचना अभ्यावेदन में समाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय रहने का उल्लेख किये जाने के मद्देनजर मो० मामूर को निलंबन मुक्त करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया है कि निलंबनावधि में देय वेतन भत्ते एवं सेवा विनियमन का निर्णय उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में मो० मामूर, निलंबित कनीय अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

05. निलंबन मुक्ति के पश्चात मो० मामूर विभागीय मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर-

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

हस्ताक्षर

ज्ञापांक-11/आ०4-1036/2025-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर-

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०4-1036/2025- 1430

पटना, दिनांक- 14/7/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)/(कार्य प्रबंधन)/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, सासाराम/अधीक्षण अभियंता, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मो० मामूर, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा, प्रशाखा-बहेड़ी निलंबित कनीय अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

31/7

13-7-26